

विक्रेता को नागान्तरण होने के दिन से प्राप्त रहे थे वह समस्त मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष विक्रेता ने आज ही क्रेता को दे दिये हैं। आज से बिचौती की गई कृषि भूमि को क्रेता जिस प्रकार चाहे अपने उपयोग व उपभोग में लेवे, लाभ अर्जित करे, रद्दोबदल करे, रहन, विक्रय, पुनः हस्तान्तरित आदि करने के सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गए हैं।

इस प्रकार इस विक्रय पत्र को पंजीयक कराने का प्रत्येक प्रकार का खर्चा क्रेता के हित में ही देया गया है तथा क्रेता द्वारा मूलधन से पृथक् अपने पास से वहन किया है।

भविष्य में बिचौती की गई कृषि भूमि के इस विक्रय पत्र के विपरीत प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई साझीदार या भागीदार अथवा किसी प्रकार की आपत्ति, आक्षेप करेगा या आज के पूर्व का कोई झगड़ा, टण्टा, कर्जा, दिक्की, बैंक ऋण आदि का भार सरकारी, इत्यादि का निकलेगा तो उन सबका निपटारा हानि व्यय सहित प्रथम पक्ष विक्रेता स्वयं करेगी, क्रेता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि किसी कारण या प्रथम पक्ष विक्रेता के स्वामित्व की त्रुटि के कारण बिचौती की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण या आंशिक रूप से क्रेता के कब्जे एवं अधिकार से निकल जावे तो क्रेता का होने वाली तमाम हानि मय निर्माण कार्य जो भी हो प्रथम पक्ष विक्रेता से व उनकी अन्य चल अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे एक मुश्त वसूल करने का अधिकार होगा इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता को या उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। आज के पश्चात् लोड की राशि व अन्य राज्य सरकार को देय राशि जो भी लगेगी वह क्रेता स्वयं जमा करावेगा। इससे प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

[Signature]

Ashana Sharma

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten number '5'.

Handwritten number '179'.



Archam Sharma

Handwritten signature or scribble.

Handwritten number '1'.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or detailed notes.


Handwritten text at the end of the first section.

Second main section of handwritten text, continuing the list or notes.



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a footer or signature.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, written in a non-Latin script.



Handwritten text at the bottom of the page, continuing the notes or providing a legend for the diagram. The text is written in a non-Latin script.



9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 10 के अधीन जारी किया गया है।

नहीं

10. अन्य विवरणियां, यदि कोई हों।

नहीं

11. उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा—

- (1) उपरोक्त अतिरिक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
- (2) यदि आवश्यक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्षों की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विकल होता है तो अनुज्ञा अस्तित्व में नहीं लायी जाएगी और आवेदक द्वारा जमा किया गया प्रीमियम धन सम्पन्न हो जाएगा।
- (3) नियम-4 में क्या वर्णित भूमि का उपयोग अतिरिक्त प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
- (4) संपरिवर्तनीय प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अतिरिक्त प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जाएगा।
- (5) यदि सड़क राजमार्ग से शिक्षण संस्थान तक जाने के लिए रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- (6) निकटस्थ स्थानीय निकाय की उपस्थिति तथा शिक्षण संस्थान के निर्माण संबंधित निर्धारित मापदण्डानुसार ही शिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य कराया जा सकता है। यदि शिक्षण कार्य सुनिश्चित हो ग्रासरूट कमीशन अथवा टर्मिनल एजुकेशन से संबंधित हो तो उनके दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण करना होगा।
- (7) शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का 40 प्रतिशत क्षेत्र बच्चों की खेलकूद की व्यवस्था एवं पार्क वाहन पार्किंग आदि के लिए खुला छोड़ना होगा।
- (8) राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प-6(6)राज-8/92/पार्ट/23 दिनांक 17.7.07 की पालना में नियम 2007 के नियम 9(2) के अंतर्गत गठित समिति द्वारा नक्शे अनुमोदित कराना होगा।

जिला कलेक्टर,
जयपुर।

क्रमांक - सन/ 2125-28

दिनांक - 16/2/08

प्रतिलिपि सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा, कलेक्टर, जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील जमदारामगड, जिला जयपुर।
3. नगरपालिका प्रशासन, अर्धे पस, जमदारामगड।
4. नईसिधवा सत्य सलुकर सेवा समिति 9-कुष्मा नगर की 80-फिट रोड महेश नगर, जयपुर।
5. अतिरिक्त, जयपुर पत्राचार।

विचौती किये हुए भूखण्ड का संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है, अविकसित एरिया होने के कारण इसकी मार्केट वैल्यू मूलधन से अधिक नहीं है।

अतः यह विक्रय पत्र मैंने अपनी राजी खुशी स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में 1000 रूपये के मुद्रा पत्र व पांच पाई पेपरों पर लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति दिनांक 25.04.2007

हस्ताक्षर विकेंता



LTI Gopabandhu

हस्ताक्षर केंता

Aschana sharma



गवाह

श्री. राजेश शर्मा श्री. लाल शर्मा
D-135 ब्लॉक-357A खोदकडा जम्हाडा

गवाह

Sanjeev Singhal Advocate

Drafted by Sanjeev Singhal, Advocate

प्रारूप " ब "
 दखिय नियम 9(3)(4) और (6)
 कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

दस्तावेज अंश 18वीं (52) 2007 / शंभ. / 2124 दिनांक- 16/7/08

संपरिवर्तन आदेश

सत्य सकल्य सेवा समिति 9-कृष्णा नगर बी 80-फिट रोड महेश नगर जयपुर के आवंटन पर उसकी खातद्वारा अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्वानुसार राजस्व (प्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अंतर्गत अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टता नीचे दी गई है।

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | आवंटक खातदार अभिधारी का नाम सत्य सकल्य सेवा समिति 9-कृष्णा नगर बी पित्त/पति के नाम सहित पूरा 80-फिट रोड महेश नगर जयपुर पता। | |
| 2 | बया आवंटक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। | नहीं |
| 3 | संपरिवर्तित भूमि का खोरा-
(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम
(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल
(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मी में) | ग्राम एठ ग्राम पंचायत आधी तहसील जयपुर जिला जयपुर

खसरा 370 संख्या 3 बीघा 04 बिस्वा

खसरा 370 में संपरिवर्तन किया गया क्षेत्रफल 5000 वर्ग मी 0
हुर संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मी में) |
| 4 | संपरिवर्तन का प्रयोजन | संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ |
| 5 | संवय प्रीमियम की दर | 15.82/- रु प्रति वर्गमीटर |
| 6 | घालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम। | जान 286 दि 7.2.07 से राशि 79100/- |
| 7 | घालान की संख्या तथा तारीख सहित शासित यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम। | नहीं |

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND

Rs.1000



राजस्



839080



॥ विक्रय पत्र ॥

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 25.04.2007 ईस्वी को जयपुर शहर जयपुर में मैं श्रीमति गंगा देवी पत्नी श्री जगदीश नारायण जाति ह. ब्राह्मण आयु लगभग 47 वर्ष निवासी बालाकिशनपुरा जयपुर को हूँ। जिसे विक्रय पत्र में आगे चलकर प्रथम पक्ष विक्रेता के नाम से सम्बोधित किया गया है।

बहक

सत्य संकल्प सेवा समिति, रजि. नं 615 जयपुर/2006-07 राज. संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958, जरिये अध्यक्ष श्री शिवचरण शर्मा पुत्र स्व. श्री वादराम



रूप न्यायिक पत्र
श्रीमति गंगा देवी

Arun Kumar



आयु 67 वर्ष एवं महासचिव श्रीमती अर्चना शर्मा पति श्री विकास शर्मा औद्यु 37 वर्ष, पंजीकृत कार्यालय मकान नम्बर 9, कृष्णा नगर-बी 80 फीट रोड, महेश नगर, जयपुर राजस्थान है। जिन्हें विक्रय पत्र में आगे चलकर द्वितीय पक्ष क्रेता के नाम से सम्बोधित किया गया है।

इस विक्रय पत्र में हम प्रथम पक्ष, क्रेता द्वितीय पक्ष व दोनों के उत्तराधिकारी, दायीभागीगण व सभी स्थानापन्न भी पाबन्द व बाध्य रहेंगे।



जो कि प्रथम पक्ष विक्रेता की अचल सम्पत्ति के स्वामित्व व अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 370 स्थित ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3 बीघा 4 बिस्वा है जिसकी चारों ओर सीमाओं में से पूर्व की ओर खसरा नं० 369 मिला हुआ व दक्षिण की ओर खसरा नं० 372 मिला हुआ है व पश्चिम की ओर खसरा नं० 371 स्थित है व उत्तर की ओर खसरा नं० 368 स्थित है जिसमें लगभग 40 फुट की सड़क है इस सड़क से खसरा नं० 370 में जाने का रास्ता है। उपरोक्त वर्णित भूमि को प्रथम पक्ष विक्रेता ने अरिये रजिस्ट्री द्वारा श्री गोविन्द नारायण शर्मा पुत्र श्री सुरजमल शर्मा जाति ह. ब्राह्मण निवासी म.न. 92 भट्टों की गली पुरानी विधानसभा के सामने जयपुर से क्रय किया एवं नामान्तरण सं 1064 दिनांक 21.11.2005 से अपने नाम नामान्तरण खुलवा कर उपरोक्त खसरे को बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साझे के एकमात्र मालिक, स्वामी व अधिकारी है जिसे प्रथम पक्ष विक्रेतागण ने आज तक किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय, बख्शीश आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं किया है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 370 प्रत्येक प्रकार के झाड़े, टण्डे,

SSR...

Archana Sharma



जन्मधारण इत्यादि से शुद्ध, पवित्र व मुक्त है जिसके विषय में प्रथम पक्ष विक्रेता को प्रत्येक प्रकार से अपने काम में लगे व रहने, विक्रय, व हस्तान्तरित आदि करने का सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मालिकाना हक प्राप्त है। यदि उपरोक्त कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का भार निकलता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्ष विक्रेता की होगी।

जो कि प्रथम पक्ष विक्रेता को अपने पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपना उपर्युक्त लॉन्ड कृषि भूमि ग्यसरा संख्या 370 सम्पूर्ण स्वलों, घिना रखे किसी अंश व भाग के बंधु संकल्प सेवा भवित पंजीकृत कार्यालय मकान नम्बर 9, कृष्णा नगर बी 80 फीट रोड, मन्दिना नगर, जयपुर राजस्थान द्वितीय पक्ष क्रेता को 10,00,000/- अक्षरे दस लाख रूपये के बदले अपनी प्रसन्नता से पूर्ण रूप से विचौती कर दिया है।

विक्रय मूल्य की कुल मुबोलाग राशि रूपये 10,00,000/- अक्षरे दस लाख रूपये में से चार लाख रूपये जरिये डी. डी. नं 022761 दि 16.04.2007 यू. टी. आई बैंक आशोक मार्ग सी स्क्रीम जयपुर द्वारा जारी किया गया है व छः लाख रूपये यू. टी. आई. बैंक आशोक मार्ग सी स्क्रीम जयपुर के आर. टी. जी. एस सिस्टम के अकाउन्ट न. 010010100432054 में दि 25.04.2007 को जमा करवा दिये है जो कि विक्रेता के एस बी बी जे के अकाउन्ट न. 61023487118 में जमा हो गये है जिसकी पावती उक्त क्रेता से आज सम्मुख उप-पंजीयक महोदय के समक्ष प्राप्त कर कब्जा विचौती किये उक्त कृषि भूमि पर द्वितीय पक्ष क्रेता को भौके पर वास्तविक रूप से भौतिक कब्जा व अधिकार करवा कर विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवा दी है। विचौती की गई कृषि भूमि के संबंध में समस्त मालिकाना अधिकार जो आज तक प्रथम पक्ष

Asad Hussain
Asad Hussain

3
+5
आ पंजीयक प्रमुख

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 - GANGA DEVI / JAGDISH NARAYAN
 उम्र -47 वर्ष जाति - BRAHMIN, व्यवसाय -HOUSE WIFE
 निवासी - BALKISHANPURA, JAIPUR RAJASTHAN

Signature

Photo

Thumb

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



(And Claimant)

1 - SHIV CHARAN SHARMA / LATE YADRAM SHARMA
 उम्र -67 वर्ष जाति - BRAHMIN व्यवसाय -BUSINESS
 निवासी -SATYA SANKALP SEWA SAMITI, MAHESH
 NAGAR, JAIPUR AS PRES. SATYA SANKALP-SEWA
 SAMITI

[Handwritten signature]



2 - ARCHNA SHARMA / VIKAS SHARMA
 उम्र -37 वर्ष जाति - BRAHMIN व्यवसाय -HOUSE WIFE
 निवासी - SATYA SANKALP SEWA SAMITI, MAHESH
 NAGAR, JAIPUR AS SEC. SATYA SANKALP SEWA
 SAMITI

[Handwritten signature]



मे लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed) को पढ़ सुन व समझकर विषयवस्तु करता स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रु० 1280000/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रु० 1280000/- पूर्व में ----- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री RAJESH SHARMA
 पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री SHRILAL SHARMA
 उम्र -25 वर्ष जाति-BRAHMIN व्यवसाय -PRIVATE SERVICE

[Handwritten signature]

निवासी D-135,,PREM NAGAR,,JHOTWARA, JAIPUR

2- श्री/श्रीमती/सुश्री SANJEEV SINGHAL ADV.
 पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री JAIPUR
 उम्र -0 वर्ष जाति-null व्यवसाय -ADVOCATE
 निवासी JAIPUR,,

[Handwritten signature]



मे की है जिसके समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठ के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2007051004711)

Sale Deed (Conveyance deed)

[Handwritten signature]
 उक्त निष्पादन कर्ता, पंजीयन एवं मुद्रांक
 शयपुर प्रथम